

(डिक्री व मुकदमा इत्दायी)  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत संदीप चौधरी, आर0 ए0 एस0

बइजलास : उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़, झुंझुनूं (राजस्थान)

करतारसिंह बनाम रांदीप कुमार वगै0

दावा बाबत:- दावा बाबत विभाजन

मुकदमा नंबर :- 144

सन् :- 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल रूबरू संदीप चौधरी, आर0 ए0 एस0 व हाजरी श्री रोनाक हलवान एड. मनजानिब मुददइ श्री सोमवीर एड मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि -

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 429, 501/437, 520/429, 430 431 432 वाकें मौजा बेरला का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू. अ./21/384 दिनांक 25.02.2021 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

नीज .....मुबालिग .....बाबत .....खर्चा इस मुकदमें के मय सद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करें।  
बरवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.05.2022 को जारी।

मुहर

दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़  
आहदा

मुददई	रूपया	मुददायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिक	